

MUNICIPAL CORPORATION BHILAI (C.G.)

NIT

कार्य का नाम :- नगर पालिक निगम भिलाई की सामान्य सभा एवं महापौर परिषद की बैठक/विशेष बैठक हेतु
नारता एवं भोजन व्यवस्था कार्य।

S.N	Particulars	Unit	Qty	Rate	Amount
1	थाली स्पेशल				
	जीरा राइस, सादा राइस, सादा तवा रोटी या पराठा, पनीर की सब्जी, एक अन्य सब्जी (मौसमी), दाल फाई, रायता, सलाद, पापड, अचार, मीठा 01 पीस	थाली	1000		
2	थाली सामान्य				
	सादा चावल, पुड़ी, एक मौसमी सब्जी, सादा दाल, सलाद, अचार, मीठा 01 पीस	थाली	1000		
3	मिनरल वॉटर 200 एम.एल	पेटी	1000		
4	नारता ब्लेट मिक्स	पैकेट	3000		
	1. डोकला + सनोसा / कच्चीडी + मीठा + नमकीन				
	2. दोसा सादा / मसाला घटनी सहित				
	3. सांबर बड़ा 02 पीस घटनी सहित				
5	चाय	कप	5000		
6	कॉफी	कप	1000		
7	कॉल्ड्रीक 02 ली. (पैपरी, अम्बाजाप, कोको कोला, फैन्टा, स्प्रिंग) इत्यादि	नग	500		
8	लस्टी 200 एम.एल.	ग्रिलास	200		
9	मटा 200 एम.एल.	पैकेट	200		
10	सनोसा प्रति नग	नग	200		
11	कच्चीडी प्रति नग	नग	200		
12	आलू गुण्डा प्रति नग	नग	200		
13	कटलेट सादा प्रति नग	नग	200		
14	डोकला	नग	200		
15	स्थीट (कलाकंद, अंजीर बरफी, मिल्क केक)	किलो	40		
16	रसगुल्ला / गुलाब जामुन	किलो	40		
17	मीठा दूध 200 एम.एल. (देवमोग)	बॉटल / पैकेट	1820		

Secretary
Municipal Corporation
Bhilai

Assistant Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

.....पालन अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

//नियम एवं शर्ते//

कार्य का नाम :— सामान्य सभा/महापौर परिषद/विशेष बैठक में भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था।

1. स्वल्पाहार/भोजन व्यवस्था का कार्य स्थानीय कैटरर्स/होटल व्यवसायी से निविदा आमत्रित की जाती है।
2. कैटरर्स/होटल व्यवसायी का स्वयं का होटल/गुमास्ता लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता एवं संबंधित के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर लिफाफा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. संरक्षित निविदा रखीकार नहीं की जाएगी।
5. दरें समरत कर सहित देंवे।
6. स्वल्पाहार/भोजन आवश्यकता अनुसार पैकेट अथवा मुख्य कार्यालय में बनाकर देना होगा जिसमें प्लेट, चमच, कटोरी इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
7. पानी गर्मी के मौसम में ठंडा देना होगा।
8. स्वल्पाहार/भोजन ताजा एवं स्वादिष्ट होना चाहिए खराब एवं बासी की शिकायत मिलने पर एजेंसी के उपर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. सामग्री की सुरक्षा की संपूर्ण जवाबदारी एजेंसी की होगी। खो जाने, टूट जाने पर किसी भी प्रकार की जवाबदारी निगम की नहीं होगी।
10. सामग्री कार्य स्थल पर समय पर पहुंचाना/बनाकर देना व्यवस्थित करना, देखरेख करना कार्य समाप्ति उपरांत ले जाना, इसकी भी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। सामग्रियों का परिवहन कार्य एजेंसी द्वारा रख्य करना होगा परिवहन कार्य पर होने वाले व्यय निविदा दर में सम्मिलित करना होगा। पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. कार्य समयानुसार नहीं किए जाने पर अन्य श्रोतों से कार्य कराया जाएगा। कार्य में होने वाले संपूर्ण व्यय की दुगनी राशि एजेंसी से वसूल किया जाएगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम आयुक्त का निर्णय मान्य एवं अंतिम होगा।

✓
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

—Mr. B.
सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

B
उप अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई